न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जिला–जोधपुर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री हवाई सिंह यादव, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या : 2020/00150 (64/2020)

–: प्रार्थीगण :–

1. सहदेवराम पुत्र भंवरलाल
2. जीयाराम पुत्र नेनाराम
3. कुशालराम पुत्र मोहनराम
   जातियान जाट निवासी आसोप
   तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर

बनाम

–: अप्रार्थीगण :–

1. मोहनराम पुत्र मालाराम
   जाति मेघवाल निवासी आसोप
   तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर
2. तहसीलदार भोपालगढ़

राजस्व प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री मनोज कुमार जाखड़ अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री श्यामलाल चौधरी अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 01।
4. सरकारी पैरोकार उपस्थित।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः–** 12/1/22

वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र अंतर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के पेश किया जिसमें बताया कि प्रार्थीगण की खातेदारी पुश्तैनी कब्जा सुद भूमि ग्राम आसोप चक प्रथम तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में खसरा नं. 1363 रकबा 0.8078 हैक्टेयर, खसरा नं. 1367 रकबा 2.9688 हैक्टेयर, खसरा नं. 1362 रकबा 0.6475 हैक्टेयर भूमि आयी हुई है। सबूत में नकल जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 तक संलग्न पेश है। प्रार्थीगण को अपने खेत में आने जाने हेतु एक मात्र रास्ता खसरा नं. 1336 में से आते जाते थे, लेकिन वर्तमान में नयी तरमीम करते वक्त उक्त रास्ते को अवरूद्ध कर दिया तथा रास्ते पर खसरा नं. 1336/3 तरमीम कर दिया जो कि गलत है क्योंकि उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 01 का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। वादग्रस्त आराजी के पश्चिमी दिशा की तरफ खसरा नं. 1336/3 की तरमीम कर दी गयी है जो गलत हुई है उक्त खसरा नं. 1336 से होकर समर्पित रास्ता खसरा नं. 2092 तक जाता है लेकिन उक्त रास्ते पर खसरा नं. 1336/3 की गलत तरमीम कर दी गयी है जो तरमीम निरस्त योग्य है। प्रार्थीगण की खातेदार भूमि खसरा नं. 1363, 1367, 1362 की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता खसरा नं. 2092 से होकर खसरा नं. 1336 में से होकर जाता था लेकिन हाल ही में की गयी नयी तरमीम खसरा नं. 1336/3 नया दर्ज होने पर प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता बंद हो जायेगा। इसलिये उक्त की गयी नयी तरमीम को निरस्त कर प्रार्थीगण को आने जाने के समर्पित रास्ते की पुरा[illegible] जारी किया जावे। अतः प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रा[illegible] कर ग्राम आसोप चक प्रथम की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजी [illegible] नं. 1336/3 [illegible] पर की गयी नयी तरमीम को निरस्त करने का आदेश फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2022.02.02 12:23:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से श्री श्यामलाल चौधरी अधिवक्ता ने वकालतनामा एवं जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से पेश जवाब प्रार्थनापत्र में बताया गया कि ग्राम आसोप के खसरा नं. 1336/3 अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की है तथा प्रार्थी वक्त खातेदारी से कब्जा काश्त है तथा खसरा नं. 1336 की तरमीम वक्त सेटलमेन्ट से की हुई है जिसको परिवर्तन करने का श्रीमान को अधिकार नही है तथा न ही प्रार्थीगण को तरमीम परिवर्तन करवाने का अधिकारी है। मूल खसरा नं. 1336 की तरमीम सेटलमेन्ट से की हुई है तथा अप्रार्थी संख्या 01 का कब्जा खसरा नं. 1336/3 पर है जो तरमीम शुद्धा भूमि है। उक्त भूमि का न तो प्रार्थीगण खातेदार है तथा न ही प्रार्थीगण व उसके पूर्वज खातेदार रहा है। इस आधार पर भी प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध प्रार्थनापत्र पेश करने का अधिकार नही है। अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त खेत रोड़ पर स्थित है तथा प्रार्थीगण का खेत अप्रार्थी के खेत के पूर्व दिशा में आया हुवा है तथा खसरा नं. 1336/3 की तरमीम रोड के पूर्व दिशा में आई हुई है तथा थी तथा अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 1336/3 के आगे प्रार्थीगण का खेत आया हुवा है तथा अप्रार्थी की खातेदारी खेत में से प्रार्थीगण को नियत करने का कोई अधिकार नही है तथा अप्रार्थी की तरमीम निरस्त करवाने का अधिकार भी प्रार्थीगण को नही है। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थनापत्र में विशेष कथन में बताया कि अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी एवं कब्जा काश्त का खेत खसरा नं. 1336/3 है तथा उक्त खसरा का मूल खसरा नं. 1336 है जिसकी तरमीम सेटलमेन्ट से की हुई है जो वर्तमान तरमीम व सेटलमेन्ट तरमीम सही एवं सत्य है अर्थात एक समान है तथा खसरा नं. 1336/3 का प्रार्थीगण व उसके पूर्वज कभी भी खातेदार नही तो था व नही है तथा खसरा नं. 1336/3 की तरमीम व अधिकार प्रार्थीगण का नही है, इसलिये उक्त तरमीम निरस्त करवाने का अधिकार नही होने से तथा प्रार्थीगण का अधिकार इनफ्रिन्जमेंट नही होने से प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र खारिज योग्य है तथा प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का उद्‌देश्य अप्रार्थी की खातेदारी अधिकार को निरस्त करने का है जबकि अप्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार को निरस्त करवाने का दावा नही होने से तथा खसरा नं. 1336/3 में प्रार्थीगण का अधिकार नही होने से प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र खारिज योग्य है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र भारी हर्जा खर्चा के साथ खारिज फरमाया जावे।

तहसीलदार भोपालगढ़ द्वारा मौका रिपोर्ट पेश कर बताया गया कि प्रतिवादी का कब्जा नजरी नक्शा चित्र संख्या 01 के अनुसार रकबा अनुसार सही पाया, जबकि तरमीम नजरी नक्शा चित्र संख्या 02 के अनुसार की गयी जो मौके से भिन्न है। नजरी नक्शे में दर्शाया गया **पार्ट E** वादीगण के खेतों में जाने हेतु रास्ते के रूप में एवं रोड बाउण्डरी हेतु काम में आ रहा है, **पार्ट E** पर से तरमीम हटाने से प्रतिवादी के खेत खसरा नं. 1336/3 का रकबा मौके पर कम नही होगा, इस हटाने वाली तरमीम का रकबा 08 बिस्वा बनता है जो सिवायचक दर्ज होगी। इस प्रकार बाद [illegible] तरमीम नजरी नक्शा मौके कब्जा चित्र संख्या 01 के अनुसार रहेगी। तत्पश्चात् वकुलाय उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai S
Yadav
Date: 2022.02.02 12:23:08
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध [illegible] किया एवं तहसीलदार भोपालगढ़ की मौका रिपोर्ट एवं वकुलाय उभय पक्ष की बहस पर [illegible] प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने से अप्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नं. 1336/3 के रकबे में कोई परिवर्तन नही होगा तथा अप्रार्थी के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नही पडेगा। अतः प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ (जोधपुर)

का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भोपालगढ़ की मौका फर्द अनुसार नजरी नक्शे में चित्र संख्या 01 के अनुसार तरमीम दुरूस्ती करने के आदेश दिये जाते है तथा नजरी नक्शे के अनुसार **पार्ट E** पर से तरमीम हटाने से अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 1336/3 का रकबा मौके पर कम नही होगा, इस हटाने वाली तरमीम का रकबा 08 बिस्वा बनता है जो सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भोपालगढ़ की मौका रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार भोपालगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त तरमीम दुरूस्ती की जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करे। निर्णय की प्रतिलिपिमय नजरी नक्शा मौका रिपोर्ट तहसीलदार भोपालगढ़ को नियमानुसार पालना हेतु भेजी जावे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

हस्ताक्षर 12/1/22

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

(मुहर: सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जोधपुर))

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ – सत्यमेव जयते)

निर्णय आज दिनॉक 12/1/22 को सरे ईजलास सुनाया गया।

हस्ताक्षर 12/1/22

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

(मुहर: सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जोधपुर))

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ – सत्यमेव जयते)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2022.02.02 12:23:08 IST
Reason: SelfAttested